(वाद सं0.-5823/4/4/2021)

24.08.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, दीपक कुमार, रात्रि–प्रहरी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय संजात, प्रखण्ड– भगवानपुर, जिला– बेगूसराय को स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक–05.08.2020 से मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित ह।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदनानुसार **" श्री दीपक कुमार, पिता–श्री सुरेश चौधरी, रात्रि प्रहरी, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय संजात– भगवानपुर जिला– बेगूसराय का लंबित मानदेय का भुगतान अद्यतन माह मई, 2022 तक कर दिया गया है। "**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक